बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 383348 पटना, दिनांक 08/08/18

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(नि0आ0पूर्ण)-103-102/2016

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजना को बंद करने के लिए सभी निर्माणाधीन इंदिरा आवासों को पूर्ण कराने के साथ हीं सभी निर्माणाधीन एवं अपूर्ण आवासों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

प्रसंग :- (i) विभागीय पत्रांक-376763 दिनांक-27.06.18 एवं 379507 दिनांक-18.07.18
(ii) भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्रांक-M-13015/03/2017-RH(A/C) दिनांक-11.07.18

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में इंदिरा आवास योजना के खातों का Settlement एवं उसे बंद कराने के उद्देश्य से प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा विहित प्रपत्र संलग्न करते हुए दिनांक 30.06.18 तक वांछित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था । इस संबंध में स्मारित किये जाने के बावजूद जिलों से प्रतिवेदन अप्राप्त है ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) के अनुसार एनेक्सचर में विनिर्दिष्ट सूचना प्रेषित नहीं करने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि राज्य से संबंधित कोई सूचना नहीं है । आप अवगत हैं कि जिलान्तर्गत कतिपय इंदिरा आवास निर्माणाधीन स्थिति में हैं और लाभुकों को देय सहायता राशि के भुगतान एवं आवास पूर्ण कराने के उद्देश्य से single page entry का निदेश जिलों को दिया गया है ।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के संलग्न पत्र में वर्णित विषयवस्तु को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर विभागीय पत्र संख्या-376763 दिनांक-27.06.18 द्वारा प्रेषित विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र के एनेक्सचर से वांछित सूचना के साथ-साथ तीन दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि उसे समेकित कर ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रेषित किया जा सके ।

विश्वासभाजन

8/8

(कँवल तनुज)
सरकार के संयुक्त सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY 2229 B.doc